न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 96/2022 दर्ज दिनांक 21.11.2022

जी सी एम एस न0 2022/1000 निर्णय दिनांक 23.12.2022

लीलाधर पुत्र रिछपाल उम्र 48 वर्ष जाति मेघवाल, निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 23.12.2022**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के खाता संख्या 268 के खसरा न. 313, 316 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 0.1100, 2.7000 है0 कुल रकबा 2.8100 है0 स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जिसे आगे प्रार्थना पत्र में उक्त खसरान की भूमि को विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में उसका नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल है। प्रार्थी का अपने सभी दस्तावेज में सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल अंकित है केवल मात्र विवादित भूमि में ही प्रार्थी का नाम लीलाराम गलत दर्ज हो गया है, जिसको दुरूस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। गांव दीपपुरा में रिछपाल मेघवाल के लीलाराम का कोई पुत्र नहीं है, बल्कि लीलाराम व लीलाधर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी का विवादित भूमि में लीलाराम नाम अंकित है तथा अन्य सभी सरकारी दस्तावेजो में उसका नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल अंकित है, जिस कारण प्रार्थी राजकीय लाभ अनुदान कृषि ऋण भी नहीं ले सकता है। अतः प्रार्थी का नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल के बजाय लीलाधर पुत्र रिछपाल किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी के खाता संख्या 268 जिसके वर्तमान खसरा न. 313, 316 रकबा क्रमशः 0.1100, 2.7000 है0 कुल रकबा 2.8100 है0 में प्रार्थी का गलत नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल के बजाय लीलाधर पुत्र रिछपाल किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

अनावेदक तहसीलदार ने आदेशिका में जवाब पेश ... किया कि प्रार्थी के दस्तावेजों के अनुसार नाम शुद्ध किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:39:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के खाता संख्या 268 के खसरा न. 313, 316 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 0.1100, 2.7000 है0 कुल रकबा 2.8100 है0 स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में उसका नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल है। प्रार्थी का अपने सभी दस्तावेज में सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल अंकित है केवल मात्र विवादित भूमि में ही प्रार्थी का नाम लीलाराम गलत दर्ज हो गया है, जिसको दुरूस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के खाता संख्या 268 के खसरा न. 313, 316 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 0.1100, 2.7000 है0 कुल रकबा 2.8100 है0 स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में उसका नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल है। प्रार्थी का अपने सभी दस्तावेज में सही नाम लीलाधर पुत्र रिछपाल अंकित है केवल मात्र विवादित भूमि में ही प्रार्थी का नाम लीलाराम गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दुरूरस्त करवाने का अधिकारी है उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के खाता संख्या 268 के खसरा न. 313, 316 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 0.1100, 2.7000 है0 कुल रकबा 2.8100 है0 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लीलाराम पुत्र रिछपाल के बजाय लीलाधर पुत्र रिछपाल शुद्ध/ दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

23/12/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:39:13 IST
Reason: SelfAttested